20.12.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण मे पैरोकार तहसीलदार बेगू द्वारा जवाब प्रा-पत्र पेश होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा-पत्र अनुसार करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि मौजा तोरनिया प.ह गोपालपुरा के खाता स. 100 आ स. 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 259, 260, 265, 266, 267, कुल किता- 17 कुल रकबा 2.2400 है. भूमि प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी की है जिसमे विरासत का इन्द्राज खोलते समय पटवारी द्वारा शब्द के उच्चारण की अशुद्धता के कारण हरलाल पुत्र उदेराम गलत अंकित कर दिया जिसे शुद्ध किया जाकर हरलाल के नाम के स्थान पर हरकलाल पुत्र उदेराम अंकित किया जावे। तहसीलदार बेगू ने अपनी बहस जवाब प्रा-पत्र अनुसार करते हुए प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाने का निवेदन किया है। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज, नकल आधार कार्ड, नकल राशन कार्ड नकल पंजाब नैशनल बैंक की पास बुक मे व सभी दस्तावेज मे हरकलाल पिता उदेराम दर्ज अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रा-पत्र वर्णित आराजीयात मे खातेदार हरलाल पिता उदेराम के बजाय हरकलाल पिता उदेराम सुधार किये हेतु तहसीलदार बेगू को निर्देश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमहो।

[signature]